peare
GIENE
SERIES
योगासन
योगासन
रु. 40
रु. 45
रु. 75
रु. 45
रु. 80
रु. 50
रु. 175
रु. 75
रु. 45
रु. 15
Rs. 50
Rs. 70
Rs. 25
Circus,
890
ook.com

"केवल कानून बनाने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा" —न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन

भेंटवार्त्ता ● विनोद सुरोलिया

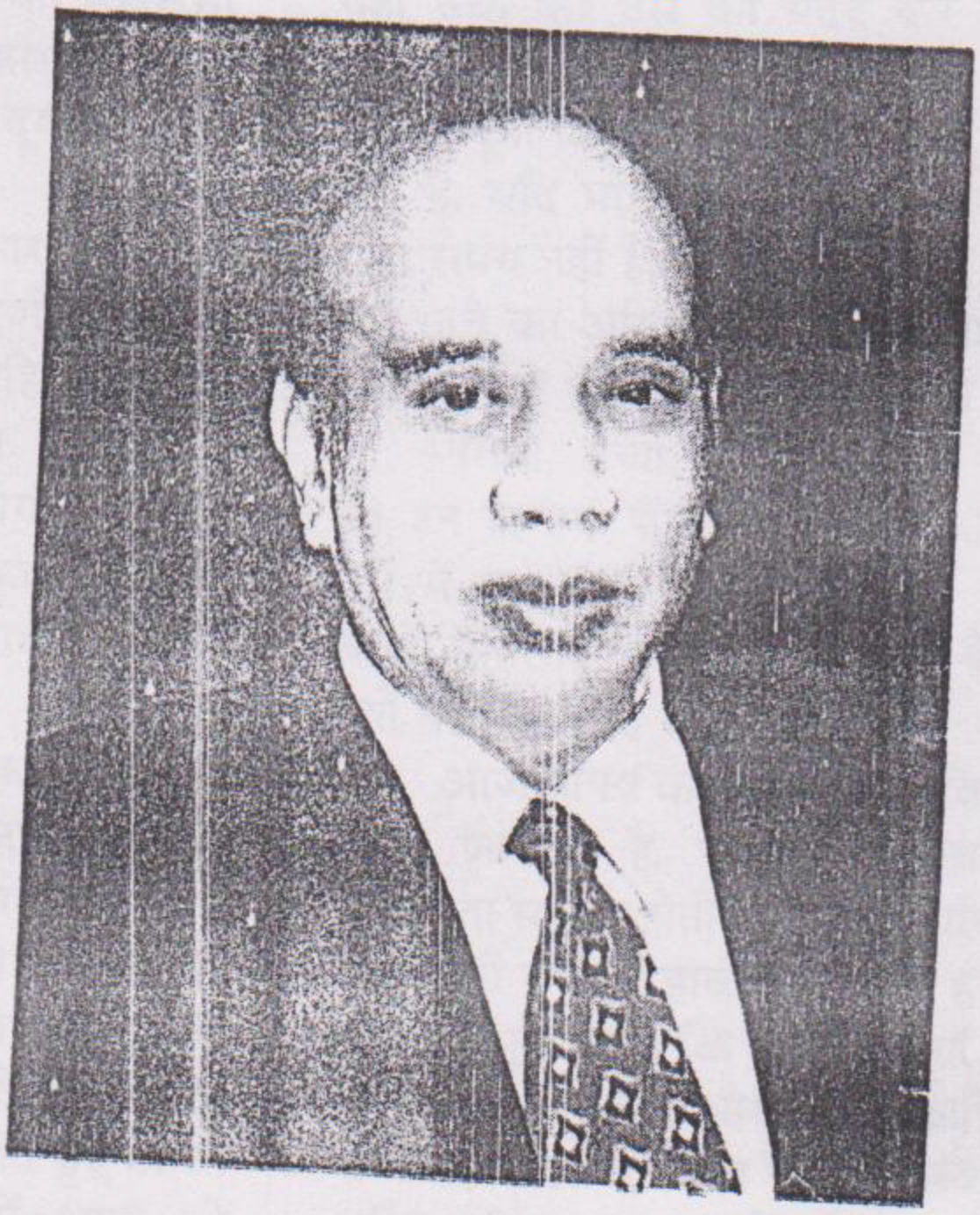

राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन मद्रास तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं. कानून ज्ञाता होने के साथसाथ वह स्कूली जीवन से ही एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और बैडमिंटन के राष्ट्रीय स्तर के खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. मानवाधिकार से ताल्लुक रखने वाले सवालों को ले कर जब उन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे व्यक्तित्व को संवारने में 'सरिता' पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है. पेश हैं बातचीत के कुछ अंश :

मानवाधिकार क्या है

मनुष्य के जन्म के साथ ही मानवाधिकार का जन्म भी हुआ है. यही कारण है कि मनुष्य के साथ जुड़े हर कार्य एवं विचारों के साथ मानवाधिकार का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है. मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का आधार मानवीय मूल्य एवं मानवाधिकार ही है. सभ्यता का मूल भी यही है कि एक मानव दूसरे मानव का हित समझे और स्वार्थ का परित्याग कर दूसरे की भावना का आदर करे. न्यायालय भी उस की मान्यता देता है. इस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा भी मानवाधिकार स्वीकार किए गए हैं. इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में अपमानजनक एवं यातनापूर्ण व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, महिलाओं के सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, स्त्रीपुरुष, बच्चों और वृद्ध लोगों के समान अधिकार प्रमुख हैं. इन अधिकारों का हनन जाति, भाषा लिंग भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता है.

आजादी के 6 दशक बाद भी मानवाधिकार अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं. आप का इस बारे में क्या मत है?

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मानवाधिकारों की बात लोगों को तब समझानी पड़ रही है जबकि देश पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका है और आजाद हुए आधी सदी बीत चुकी है. देश में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथसाथ सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वास प्रचलित हैं. यह एक जटिल समस्या है जिस के कारण हमें मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. केवल कानून बनाने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा.

मानवाधिकार आयोग के प्रयासों के बावजूद अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता क्यों पैदा नहीं हुई है? इस के पीछे क्या कारण रहे हैं?

जागरूकता सिर्फ 'मानवाधिकार क्या है' यह समझाने से नहीं आएगी. उस के लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा. हर वर्ग, खासतौर पर पीड़ित, दलित उत्पीड़ित एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और अत्यधिक जागरूकता के साथसाथ हमें संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि यदि सड़क पर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो तो वहीं रुक कर उस की मदद करें न कि सीधे आगे चले जाएं और बहाना बनाएं कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है या समय नहीं है. यदि मानवता के लिए किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का अधिकार उसे होना चाहिए? यह तो आप को स्वयं ही तय करना होगा.

गरीबों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उन के हक से महरूम किया जाता है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उन के हक क्यों नहीं मिल रहे हैं?

आज मानव का मानव पर से विश्वास उठता जा रहा है. परस्पर सद्भाव और सहिष्णुता समाप्त होती जा रही है. व्यक्तिगत स्वार्थ पूरी तरह से हावी हो गए हैं. हम इस बात को भूल गए हैं कि मानव को गरिमा से जीने का अधिकार है और उन्हें यह अधिकार जन्मजात मिला है. आज कमजोर तबके के अधिकारों का हनन वही लोग कर रहे हैं जिन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि ऐसा करना गलत है. अफसोस तो इस बात का है कि गरीब व असहाय लोगों को उन के हित में बने हुए कानूनों की जानकारी देने वाला कोई नहीं है. यदि कोई जड़ जमाई हुई अकर्मण्य, व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे इतने सुबूत

जुटाने पड़ते हैं कि वह सचाई को कहने का **साहस ही नहीं जुटा पाता.**

मानवाधिकार हनन की सब से ज्यादा शिकायतें जेलों से आ रही हैं. जेलों को सुधार गृह का रूप दिया गया है पर उस के आचरण से तो ऐसा महसूस नहीं होता. आप की क्या राय है?

यह भारतीय जेलों की त्रासदी ही मानी जाएगी कि वहां कैदी अमानवीय हालतों में रह रहे हैं. हम ने कभी नहीं सोचा कि कैदी भी समाज का अंग हैं. जेल की दीवारों में बंद हो जाने भर से समाज से वे अलगथलग नहीं पड़ जाते. जेलों में भटके हुए लोगों को इसलिए

यह भारतीय जेलों की त्रासदी ही मानी जाएगी कि वहां कैदी अमानवीय हालात में रह रहे हैं.

रखा जाता है कि बाहर निकल कर वे दूसरों के साथ मानवोचित व्यवहार करें. उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में जेलों की माली हालत को दयनीय बताया है तथा इस में सुधार के निर्देश दिए हैं जिन्हें लागू करने की आवश्यकता है.

मानवाधिकार आयोग को अपने निर्देशों को लागू करने का अधिकार नहीं है. अतः वह बिना हथियार का पहरेदार बन कर रह गया है, जो सिर्फ आंसू तो बहा सकता है पर पीड़ित को कोई राहत प्रदान नहीं कर सकता. इस पर आप का क्या मत है?

आयोग इंडिपेंडेंट बौडी है जिन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं एवं आयोग स्वयं अपने स्तर पर स्वमोटो प्रसंज्ञान भी ले सकता है तथा उसे अंतरिम मुआवजा दिलाने का हक है. आयोग को हर साल अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी होती है जिस पर चर्चा का प्रावधान है. मानवाधिकार आयोग को आज्ञात्मक शक्तियां देने के लिए विधायिका को लिखा जा चुका है, ताकि पीड़ित पक्षकारों की गुहारों की सुनवाई कर उन्हें तत्काल राहत दे सके.

आप जज रहे हैं. उस दौरान कौन से यादगार फैसले दिए हैं. कुछ कहना चाहेंगे?

मेरे लिए तो हर मुकदमा महत्त्वपूर्ण रहा है. यह जनता तथा मीडिया की सोच रहती है कि कौन सा मुकदमा महत्त्वपूर्ण है. बतौर जज मैं ने करीब 1 लाख मुकदमों पर फैसला सुनाया है. किसी मुकदमे के फैसले को कभी भी एक सप्ताह से ज्यादा समय के लिए पेंडिंग नहीं रखा. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मद्रास एवं कर्नाटक के चीफ जस्टिस रहते हुए सोनिया गांधी के विदेशी मूल का केस, उमा भारती का तिरंगा झंडा प्रकरण, राष्ट्रपति चुनाव में आरक्षण का मुद्दा तथा सुषमा स्वराज, जयललिता, मारग्रेट अल्वा व दयानिधि मारन एवं करुणानिधि से संबंधित मामले की सुनवाई की है. इस के अलावा मशहूर चंदन तस्कर वीरप्पन तथा लिट्टे से संबंधित तेलगी का केस भी मेरे विचाराधीन आया था.